



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062021-227810
CG-DL-E-23062021-227810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2304]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 2021/आषाढ़ 2, 1943

No. 2304]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 2021/ASHADHA 2, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

का.आ. 2482(अ).—दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा उसके संकल्प संख्या 4 दिनांक 16.06.2021 द्वारा श्री नरेंद्र कुमार चावला, निगम पार्षद, वार्ड संख्या 15-एस, जनकपुरी (वेस्ट) तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा उसके संकल्प संख्या 4 दिनांक 16.06.2021 द्वारा श्री योगेश कुमार वर्मा, निगम पार्षद, वार्ड संख्या 75-एन, अशोक विहार के चयन के परिणामस्वरूप श्री नरेंद्र कुमार चावला और श्री योगेश कुमार वर्मा, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अंतर्गत दिनांक 31.03.22 (अर्थात् वर्तमान नगर निगम की अवधि) तक की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य होंगे।

[एफ.1(2)2004/एसी/एमसी/डीडीए/पार्ट]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2021

S.O. 2482(E).—Consequent upon election of Shri Narender Kumar Chawla, Municipal Councillor, Ward No. 15-S, Janakpuri (West), by South Delhi Municipal Corporation, vide its Resolution No. 4 dated

16.06.2021 and Shri Yogesh Kumar Verma, Municipal Councillor, Ward No. 75-N, Ashok Vihar, by North Delhi Municipal Corporation, vide its Resolution No. 4 dated 16.06.2021, Shri Narender Kumar Chawla and Shri Yogesh Kumar Verma shall be Members of Advisory Council of Delhi Development Authority under clause (d) of sub-section (2) of Section 5 of Delhi Development Act, 1957, for the period upto 31.03.2022 (i.e. the term of the present Corporation).

[F.1(2)2004/AC/MC/DDA/Pt.]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.